

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ॥

:: दिनांक 16.11.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक दिनांक 16.11.2022 को महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्रीमती मालिनी अग्रवाल, सदस्य
अति. महानिदेशक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
2. डॉ. सौम्या झा सदस्य
संयुक्त शासन सचिव,
गृह (ग्रुप-12) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।
3. श्री विक्रम सिंह, सदस्य
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान, जयपुर।
4. श्री बी.पी. चन्देल, सदस्य
उप निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

(अ) पूर्व में आयोजित बैठकों में अग्रेषित प्रकरण:-

पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 10.03.2022, 25.04.2022 एवं 18.05.2022 में निम्न बन्दियों के गत 01 वर्ष में आवंटित कार्य एवं आचरण संबंधी सूचना के अभाव में बंदी खुला शिविर के प्रकरण अग्रेषित किये गये थे, जिनकी सूचना प्राप्त होने पर 15 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

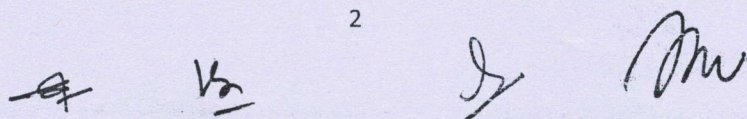
क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	विशेष विवरण
1	सजल बर्मन पुत्र दिनेश बर्मन	वि.के.का. श्यालावास	गत 01 वर्ष में कार्य पूर्ण किया एवं आचरण संतोषप्रद रहा।

2	मांगीलाल पुत्र साहबराम	के.का. बीकानेर	गत 01 वर्ष में कार्य पूर्ण किया एवं आचरण संतोषप्रद रहा।
3	हरनामसिंह पुत्र जगदीश सिंह	के.का. बीकानेर	गत 01 वर्ष में कार्य पूर्ण किया एवं आचरण संतोषप्रद रहा।
4	बलजात सिंह उर्फ काला सिंह पुत्र केहर सिंह	के.का. बीकानेर	गत 01 वर्ष में कार्य पूर्ण किया एवं आचरण संतोषप्रद रहा।
5	सुनील उर्फ गोलू पुत्र तेजमल पांचाल	के.का. कोटा	गत 01 वर्ष में कार्य पूर्ण किया एवं आचरण संतोषप्रद रहा।
6	लोकेश पुत्र दुर्गालाल	के.का. कोटा	गत 01 वर्ष में कार्य पूर्ण किया एवं आचरण संतोषप्रद रहा।

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र नहीं होने एवं अन्य कारणों से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का कारण
1	बगड़ाराम विश्नोई पुत्र हाफूराम	के.का. जोधपुर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन।
2	बलवीरसिंह पुत्र गुरदीप सिंह	के.का. अजमेर	जेल उद्योगशाला से दिनांक 13.10.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक अनुपस्थित रहने के कारण।
3	रामलाल पुत्र महेन्द्रसिंह	के.का. अजमेर	जेल उद्योगशाला से दिनांक 13.10.2021 से दिनांक 31.12.2021 तक अनुपस्थित रहने के कारण।
4	गनी मोहम्मद पुत्र ताज मोहम्मद	के.का. कोटा	जेल उद्योगशाला से अधिकतर अनुपस्थित होने के कारण।



5	बृजेश यादव पुत्र साहब सिंह	के.का. भरतपुर	बंदी के जेल उद्योगशाला से माह अप्रैल, 2021 से माह मार्च, 2022 तक नियमित अनुपस्थित रहने के कारण।
6	लालूसिंह पुत्र काकासिंह	के.का. श्रीगंगानगर	बंदी जेल उद्योगशाला से माह जनवरी, 2021, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई व 01 अगस्त से 24 अगस्त, 2021 तक जेल उद्योगशाला में आवंटित कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण।
7	धुरालाल पुत्र श्योजी	के.का. उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
8	सहजिन्द्र पुत्र हरिसिंह	के.का. उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।
9	बलकर्ण सिंह पुत्र मेहंगा सिंह	के.का. उदयपुर	दिनांक 18.05.2022 को जेलदण्ड से दण्डित।

(ब) पूर्व में आयोजित बैठकों में अस्वीकृत प्रकरण:-

पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 10.03.2022, 25.04.2022 एवं 18.05.2022 में अस्वीकृत प्रकरणों की परिस्थितियों के परिवर्तन के बाबत पुनर्समीक्षा करने पर 34 बन्दी राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शिविर हेतु पात्र पाये गये जिन्हें खुला बन्दी शिविर भिजवाने का निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

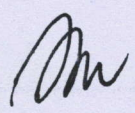
स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	विशेष विवरण
1.	बुधराम पुत्र भीयाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	मानसिक रोगी होने के कारण शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
2.	श्रीकृष्ण उर्फ बबलू पुत्र करणीराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	
3.	कालू उर्फ यशवंत पुत्र तेजमल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	
4.	संजयनाथ पुत्र उदयचंद	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	
5.	अशोक कुमार पुत्र अमरलाल	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	



6.	पिन्टू उर्फ दिलीप पुत्र ताराचंद	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	
7.	उमेश कुमार पुत्र रामभरोसा मीणा	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	मानसिक रोगी होने के कारण शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
8.	रत्ती पुत्र रसूला	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	
9.	सानू उर्फ गनमन उर्फ सुरेश पुत्र भूरीसिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	
10.	राजू पुत्र रजीत	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर	
11.	गुरबचन सिंह पुत्र दिलीप सिंह	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	
12.	सोहनलाल उर्फ वक्ता पुत्र वज्जा माईडा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	
13.	गुड्डूदास उर्फ गुडिया पुत्र भीमदास	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
14.	लालाराम पुत्र चुन्नीलाल	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	
15.	भगवाननाथ उर्फ राजुनाथ पुत्र रूपानाथ उर्फ हजारीनाथ	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	
16.	रमेश कुमार पुत्र खेमचन्द	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	
17.	जयभगवान पुत्र मांगीलाल	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	मानसिक रोगी होने के कारण शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
18.	सुरेश कुमार पुत्र रामदयाल गुर्जर	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	
19.	राजेन्द्र पुत्र जंगलीराम	वि.के.का.श्यालावास	मानसिक रोगी होने के कारण शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर
20.	विनोद पुत्र तोराराम	वि.के.का.श्यालावास	
21.	हसन अली पुत्र निजामुद्दीन शाह	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	
22.	शाहरूख खान पुत्र अलताफ हुसैन	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	
23.	रामावतार उर्फ कालू पुत्र रिछपाल	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	
24.	धुलजी उर्फ धुलेश्वर पुत्र लाबू	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	



25.	पन्नालाल पुत्र मघाराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर	
26.	विनीत उर्फ टिकु पुत्र रोडीलाल	केन्द्रीय कारागृह उदयपुर	
27.	सुनील कुमार पुत्र पूरणमल	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	
28.	शाबिर पठान उर्फ शाबिर पुत्र कय्यूम	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	
29.	गुजरा खैर पुत्र कालिया खैर	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	
30.	हीरालाल पुत्र अमर सिंह	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	
31.	रहीम पुत्र शमशुदीन	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर	
32.	मोहम्मद असलम पुत्र आजम खां	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	
33.	प्रदीप जाट पुत्र प्रीतम सिंह	जिला कारागृह, टांक	
34.	निलेश पुत्र देवचन्द	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	

उपरोक्त बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(स) कार्यालय में प्राप्त प्रार्थना पत्र के प्रकरण:-

राज्य की कारागृहों में निरूद्ध बन्दियों एवं उनके परिजनों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर संबंधित कारागृहों से प्रकरण प्राप्त कर बैठक में 10 बंदियों के प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये। इन प्रकरणों में समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

स्वीकृत प्रकरणों का विवरण :-

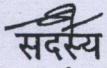
क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सुजा भुगत रहा है।	विशेष विवरण
1.	मोहनलाल पुत्र रामलाल	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	
2.	मेघराज पुत्र शिवदयाल	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	
3.	मोनू पुत्र रामकिशन	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	
4.	प्रसन्नदीप उर्फ परा पुत्र सुरेशचन्द	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	
5.	कृष्ण उर्फ लादेन पुत्र हरचन्द	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	मानसिक रोगी होने के कारण शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर

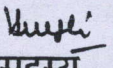
6.	शंकरासह पुत्र हांसाराम	कन्द्रीय कारागृह, अजमेर	-
7.	नरेंद्र कुमार उर्फ कल्लू पुत्र रामशेर	कन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर	-

अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण

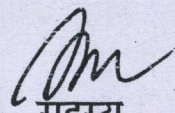
राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 के प्रावधानों के अंतर्गत साधारणतया व नियम 4 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत खुला बंदी शावर हेतु पात्र नहीं होने से निम्नांकित बंदियों को समिति द्वारा सर्वसम्मत से खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया :-

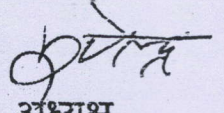
क्र. सं.	बंदी का नाम मय पिता का नाम	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	खुला बंदी शिविर में नहीं भेजे जाने का कारण
1.	हरदीन पुत्र कल्ला	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर	प्रतिबंधित धारा 376 में दण्डित होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 3(घ) के अन्तर्गत साधारणतया अपात्र।
2	नीरज पुत्र कालूराम	केन्द्रीय कारागृह, अलवर	01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन (जमानत पर)।
3	आदिल पुत्र आलम	केन्द्रीय कारागृह, कोटा	बन्दी द्वारा पैरोल से फरारी के दौरान (दि. 23.03.2019 से 20.10.2019 तक) अपराध कारित करने एवं 02 से अधिक 03 प्रकरणों में दण्डित होने के कारण राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 3(ग,च) के अन्तर्गत अपात्र।


सदस्य
उप निदेशक,
सामाजिक
न्याय एवं
अधिकारिता
विभाग,
जयपुर।


सदस्य
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
, जयपुर।


सदस्य
संयुक्त शासन
सचिव, गृह
(ग्रुप-12)
विभाग,
राजस्थान,
जयपुर।


सदस्य
अति.
महानिदेशक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।


अध्यक्ष
महानिदेशक एवं
महानिरीक्षक
कारागार
राजस्थान
जयपुर।